

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग
क्रमांक:प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/22/ 1441

दिनांक: 8/6/2022

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 329 सपटित धारा 337 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका पोकरण (जिला जैसलमेर) को चतुर्थ श्रेणी नगरपालिका से तृतीय श्रेणी नगरपालिका में क्रमोन्नत किया जाता है। यह अधिसूचना तुरन्त प्रभाव से प्रभावशील होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हवेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 8/6/2022

क्रमांक:प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/22/ 1442 - 1462

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, जैसलमेर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
7. अध्यक्ष, नगरपालिका पोकरण जिला जैसलमेर।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका पोकरण जिला जैसलमेर।
9. समस्त अधिकारी निदेशालय।
10. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
12. अधीक्षक, केंद्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी